ऋण से दबा केंद्र

		1950-51 (करोड़ रुपये में)	2003-04
	लोक ऋण	2054.33	1181427.76
	बाहरी ऋण	32.03	47407.41
	अन्य भार	811.03	543071.06
1.	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि	336.87	232987.68
2.	राज्य भविष्य निधि	95.05	55515.48
3.	अन्य लेखे	16.10	167415.26
	(i) गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशि आदि	--	120125.00
	(ii) अन्य मद	16.10	47290.26
4.	प्रारक्षित निधियाँ एवं जमा	363.05	87152.64
(i)	सब्याज 260.85	43501.32	
(ii)	निर्ब्याज 102.20	43651.32	
	कुल भार	**2865.40**	**1724498.82**
	विभाजन पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय अंश (लगभग)	-300.00	-300.00
	केन्द्र सरकार के मूल भार	2565.40	1724198.82
	भार पर अतिरिक्त पूंजी लागत एवं ऋण	--	--
	कुल (निवल)	2565.40	1724198.82

स्रोत : बजट, प्राप्तियाँ, (2004-05), वित्त मंत्रालय।

राज्य सरकारों पर भी इस समय 7,91,400 करोड़ रुपये की भारी भरकम कर्ज का बोझ है। प्रतिवर्ष इन राज्यों को अन्य गैर उत्पादक कार्यों के अलावा ऋण के इस बोझ को कम करने के लिए भी भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इसने एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म दिया है जिससे न केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारें बाहर आ पा रही हैं। (देखें तालिका)

ऋण में दबे राज्य (मार्च 2004 तक)

क्र.सं.	राज्य	कुल ऋण (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	57,574
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,118
3.	असम	15,043
4.	बिहार	49,882
5.	गोवा	3,449

6.	गुजरात	55,318
7.	हरियाणा	19,712
8.	हिमाचल प्रदेश	13,035
9.	जम्मू-कश्मीर	11,916
10.	कर्नाटक	38,091
11.	केरल	33,708
12.	मध्य प्रदेश	40,888
13.	महाराष्ट्र	71,759
14.	मणिपुर	2,463
15.	मेघालय	1,737
16.	मिजोरम	1,793
17.	नगालैण्ड	2,904
18.	उड़ीसा	33,756
19.	पंजाब	42,057
20.	राजस्थान	48,714
21.	सिक्किम	908
22.	तमिलनाडु	44,834
23.	त्रिपुरा	3,831
24.	उत्तर प्रदेश	104,079
25.	पश्चिम बंगाल	79,575
26.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	13,254
	कुल -	791,400

स्रोत : आर.बी.आई.- निर्देशन पुस्तिका (सांख्यिकी) वित्त स्थिति 2004

आगामी अनुच्छेद और तालिकाएं इस दु:खद स्थिति की कहानी बयान करती हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के लिए 1954 में लागू किए गए कानून में 2002 तक 25 संशोधन किए जा चुके हैं। जाहिर है, इनका एकमात्र उद्देश्य तथा भावना सांसदों के वेतन, भत्तों, पेंशन व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करना ही था। कभी भी इस कानून की समीक्षा का प्रयास नहीं किया गया। ना ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए वेतन आयोगों द्वारा हर दस वर्ष में अपनाई जाने वाली नीति की तरह मध्यम व दीर्घ कालिक दृष्टि से निर्णय किया गया। इसकी निरंतरता में तदर्थवाद की झलक ही मिलती है जिसका सीधा लाभ इन संसद सदस्यों को ही मिलता है। कोई भी परिवर्तन (बेशक, उत्तरोत्तर वृद्धि) करने के लिए केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति की अनुशंसा की जरूरत होती है। बिना किसी अपवाद के इस मामले में संसद की अनुमति महज औपचारिकता होती है। आम आदमी की समस्याओं और जनकल्याण से जुड़े मामलों पर विभिन्न राजनीतिक मतों में भले ही कभी आमराय न बनती हो, परंतु यह एक ऐसा